कार्यालय मुख्य वन संरक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म0प्र0

Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in.

आदेश

रीवा,दिनांक 22-01-2025

क्रमांक / मा.चि. / 2025/18, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–1194 / 191 / 2022 / नियम / चार, भोपाल दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पीएफ–399 के रकबा 2.21 हे., वन परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पीएफ–334 के रकबा 4.59 हे., वन कक्ष क्रमांक पीएफ–334 के रकबा 4.46 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु 03 परियोजनाओं में प्रस्तावित कुल वन भूमि रकबा 11.26 हे. के बदले वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक / तक / 475 दिनांक 22.01.2025 से वन मण्डल सिंगरौली, परिक्षेत्र पश्चिम सरई, रकबा 5.00 हे. एवं 3.00 हे. की संशोधित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार कर तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु इस कार्यालय की ओर भेजे जाने पर पूर्व की जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 183 दिनांक 25.08.2023 को निरस्त कर प्राप्त पुनरीक्षित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है–

परियोजना / मद का नाम	कार्य विवरण	परिक्षेत्र	कार्य स्थल	कक्ष क्रमांक	कुल रकबा हे. में	कुल प्रस्तावित राशि रु. में
1. वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पीएफ–399 के रकबा 2.21 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु), FP/MP/MIN/152429/2022 2. वन मण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र मऊगंज वन कक्ष क्रमांक पीएफ–334 के रकबा 4.46 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) FP/MP/MIN/152431/2022 3. वन मण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पीएफ–334 के रकबा 4.59 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु), FP/MP/MIN/152432/2022 आवेदक स्वामी श्री नित्यानन्द महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा।	क्षतिपूर्ति वनीकरण	प0 सरई	समूद	पीएफ–603	5.00	4005358.00
	क्षतिपूर्ति वनीकरण	प0 सरई	समूद	पीएफ–603	3.00	3604104.00
				योग	**8.00**	**76,09,462.00**

शर्तें–

1. सभी क्षतिपूर्ति वनीकरण रोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. क्रमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
2. म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–25–36 / 2005 / 10 –3 / 2002 दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से दिये गये निर्देशानुसार वृक्षारोपण योजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि कुल राशि रु.**76,09,462/-** का 10 प्रतिशत रु.**7,60,946/-** नियमानुसार पृथक से ली जावेगी।
3. जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई एवं अक्टूबर माह में कराई जावे।
4. कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।
5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मजदूरी दर में वृद्धि का प्रावधान किया गया है फिर भी यदि दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है, तो अन्तर की राशि सम्बन्धित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।
6. सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन अनिवार्य हो।

(राजेश कुमार राय)
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2025 / 499 — रीवा,दिनांक 22-01-2025

प्रतिलिपि– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.